कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

सिविल कोर्ट परिसर मेरठ में स्थित तेरह न्यायालय भवन में लगी हुई दो लिफ्ट जिनकी क्षमता क्रमशः 6 व्यक्ति व 20 व्यक्तियों को एक साथ ले जाने की है, के संबंध में उनके वार्षिक अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सीलबन्द टैन्डर दिनांक 28.03.2025 तक आमन्त्रित किये जाते हैं तथा विषयगत दोनों लिफ्टों की नवस्थापना का कार्य प्रस्तावित है जिसकों दृष्टिगत रखते हुए यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कार्य के सापेक्ष बजट की धनराशि अवमुक्त कर दी जाती है अथवा नवस्थापना का कार्य स्वीकृति उपरान्त प्रारम्भ होता है तो ऐसी स्थिति में टेन्डर बीच में ही निरस्त किया जा सकता है और सम्बन्धित फर्म को कार्य की अवधि तक का ही भुगतान देय होगा। उक्त दोनो लिफ्टों का वार्षिक अनुरक्षण हेतु टैन्डर किसी भी फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते है। टैन्डर के साथ अंकन 5,000–00 रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप मे ड्राफ्ट के माध्यम से जिला जज, मेरठ के नाम में अथवा नगद रूप से कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास दिनांक 28.03.2025 को पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा कराना होगा। टैन्डर उसी दिन 02:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोले जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म स्वामी टैन्डर खोलते समय यदि उपस्थित होना चाहे तो उपस्थित हो सकता है।

टैन्डर केवल उसी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा दाखिल किया जायेगा जिसे उक्त कार्य करने का अनुभव हो तथा अनुभव के संबंध आवश्यक प्रमाण पत्र टैन्डर दाखिल करते समय प्रस्तुत करना होगा। किसी भी टैन्डर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय बिना किसी कारण बताये टैन्डर प्रक्रिया को निरस्त कर सकते है। टैन्डर के संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है। टैन्डर जिस व्यक्ति अथवा फर्म के पक्ष में स्वीकृत होगा उसे तत्काल अनुबंध पत्र का निष्पादन कराना होगा।

दिनांक–19.03.2025

(लोकेश प्रवार)	(हरिहर गुप्ता) 19.3.2025	(अमन कुमार श्रीवास्तव)	(अचल नारायणसकलानी) 19/03/25
सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी / न्यायालय प्रबन्धक, जनपद न्यायालय, मेरठ।	सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी / सिविल जज (जू0डि0) सिटी मेरठ।	सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी / सिविल जज (सी0डि0), मेरठ।	अध्यक्ष, इन्फ्रा सब कमेटी / अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं0–01, मेरठ।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतू।</u>

1– नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

2– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।

3– नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

4– नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

5– समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतू।

6– कम्प्यूटर विभाग को जनपद न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतू।

टेन्डर में भाग लेने हेतु शर्ते

दिनांक 28.03.2025 को जनपद न्यायालय में तेरह न्यायालय भवन में लगी हुई दोनों लिफ्टों के वार्षिक अनुरक्षण दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए टेन्डर प्रकिया में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तो को पूर्णतया पालन करना होगा।

1. उक्त टेन्डर प्रकिया में भाग लेने वाली फर्म आयकर/व्यापारकर से मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत होनी चाहिए।
2. उक्त टेन्डर प्रकिया में टेन्डर सम्बन्धित फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा सील बन्द लिफाफें में प्रेषित किये जायेंगे।
3. टेन्डर उसी फर्म अथवा व्यक्ति का स्वीकार होगा जो न्यूनतम मूल्य पर होगा।
4. टेन्डर प्रकिया में भाग लेने वाले फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा अंकन–5,000/–रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला जज, मेरठ के नाम में अथवा अंकन 5,000/–रूपये नगद धनराशि प्रतिभूति के रूप में कैशियर सिविल कोर्ट, मेरठ के पास दिनांक 28.03.2025 को पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा कराने होंगे।
5. टेन्डर प्रकिया में भाग लेने वाले फर्म के स्वामी अथवा व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि इस सम्बन्ध किसी भी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त कर सकते है।
6. जिस व्यक्ति अथवा फर्म का टेन्डर स्वीकार होगा उसको टेन्डर के संबंध में भुगतान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्ति के बाद ही किया जायेगा।
7. जिस व्यक्ति अथवा फर्म का टेन्डर स्वीकार होगा उसको टेन्डर के संबंध में लिखित अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. कार्यदायी फर्म द्वारा प्रत्येक माह में टैक्नीशियन की जॉबवर्क आख्या प्रस्तुत करनी होगी।
9. आपात स्थिति में कार्यदायी संस्था को अपना टैक्नीशियन दूरभाष सूचना पर अविलम्ब भेजना होगा तथा लिफ्ट की तुरन्त मरम्मत करानी होगी।
10. यह है कि उक्त दोनों लिफ्टों की नवस्थापना का कार्य प्रस्तावित है। जिसकों दृष्टिगत रखते हुए यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कार्य के सापेक्ष बजट की धनराशि अवमुक्त कर दी जाती है अथवा नवस्थापना का कार्य प्रारम्भ होता है तो ऐसी स्थिति में टेन्डर बीच में ही निरस्त किया जा सकता है और सम्बन्धित फर्म को कार्य की अवधि तक का ही भुगतान देय होगा।
11. टेन्डर की स्वीकृति माननीय जिला जज महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांक 19.03.2025

(लोकेश पवार)
सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी/
न्यायालय प्रबन्धक,
जनपद न्यायालय, मेरठ।

19.3.2025
(हरिहर गुप्ता)
सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी/
सिविल जज (जू0डि0) सिटी
मेरठ।

(अमन कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी/
सिविल जज (सी0डि0),
मेरठ।

19/03/25
(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, इन्फ्रा सब कमेटी/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01, मेरठ।

अनुमोदित
19/03/2025